THE RUBBER BOARD

(Government of India, Ministry of Commerce & Industry) P.B.No.1122, KOTTAYAM 686 002

दूरभाष Phone: 0481-2301231 (Extn: 329, 365)

Excise Duty Section

Market Intelligence Division

रबड़ बोर्ड (भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) पी बी नं.1122, कोट्टयम 686 002 वेब साइट website: www.rubberboard.org.in ई मेल e-mail: led@rubberboard.org.in

उत्पाद शुल्क अनुभाग

बाज़ार आसूचना प्रभाग

Ref. No.LED/1/GNL/2024

Dated 01.11.2024

महोदय,

विषय : विनिर्माता लाइसेंस का नवीनीकरण - 01.04.2025 से 31.03.2030 तक

आपको प्रपत्र ई में जारी विनिर्माता लाइसेंस 31.03.2025 को समाप्त हो जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए लाइसेंस के सुचारू नवीनीकरण हेत् निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. लाइसेंस शुल्क का भ्गतान

5 वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क इस प्रकार है:

शुल्क भुगतान के लिए श्रेणी	5 वर्षों के लिए 18%(रु) की दर से जीएसटी सहित रकम
प्रति वर्ष 4टन तक के आवेदित परिमाण (प्रतिवर्ष रु.590/-)	2950.00
प्रति वर्ष 4 टन से अधिक आवेदित परिमाण	5900.00
(प्रतिवर्ष रु.1180/-)	

<u>ऑनलाइन भुगतान</u>

लाइसेंस शुल्क www.rbegp.in (https://pgbiz.omniware.in/RubberboardofIndia) में उपलब्ध मेनू के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। भुगतान का प्रकार चुनें: विनिर्माता लाइसेंस शुल्क - 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण (लाइसेंस के लिए आवेदित परिमाण के अनुसार 4 मेट्रिक टन तक या 4 मेट्रिक टन से अधिक)। रसीद सेव करें और रबड़ बोर्ड को ई मेल आई डी - led@rubberboard.org.in पर भेजें।

THE BOARD

2. लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रपत्र डी का आवेदन

▶ ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन 01.12.2024 से आपके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके \neg www.rbegp.in → आवेदन और अनुरोध → नवीनीकरण आवेदन में दायर किया जा सकता है।

o यदि आपके लॉगिन पेज तक पहुंचने में कठिनाई हो, तो कृपया led@rubberboard.org.in पर (विषय क्षेत्र में अपना लाइसेंस नंबर, कठिनाई की प्रकृति और नाम एवं संपर्क नंबर के साथ) एक अनुरोध भेजें।

- ▶ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2024 है
- ▶ लाइसेंस जनवरी 2025 से जारी किया जाएगा
- ► आपके उपयोगकर्ता खाते से 'आवेदन और अनुरोध → लाइसेंस हिस्टरी डीटेल्स के माध्यम से लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकता है।

रबड़ बोर्ड को आवेदन की मुद्रित कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया led@rubberboard.org.in पर ईमेल संदेश भेजें। हमेशा अपने लाइसेंस नंबर का उल्लेख विषय क्षेत्र में करें और संदेश में अपना सीधा संपर्क नंबर प्रदान करें।

3. लाइसेंस आवेदन प्रपत्र में संशोधन

यदि नाम, पता, संगठन आदि में परिवर्तन के कारण पूर्व-भरी हुई आवेदन पत्र में संशोधन की आवश्यकता हो, तो www.rbegp.in पर अपने खाते में लॉगिन करके, *आवेदन और अनुरोध मेनू* से उचित अनुरोध फॉर्म चुनकर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही, संबंधित दस्तावेज़ को अपने अनुरोध के साथ led@rubberboard.org.in पर भेजें। रबड़ बोर्ड द्वारा अनुरोध की स्वीकृति के बाद, ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करें।

4. विवरणियां दाखिल करना

लाइसेंस के लिए आवेदन केवल **फॉर्म के** और **फॉर्म एल**में अद्यतन विवरणी दायर करने पर ही विचार किया जाएगा। विवरणी न भरने पर जुर्माना/प्रशमन प्रभार के भुगतान सहित कार्रवाई की जाएगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियत तारीख के भीतर विवरणी ऑनलाइन दाखिल किया गया है।

5. संपर्क विवरण

किसी भी सहायता के लिए, कृपया निकटतम रबड़ बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें या मुख्यालय के फोन नंबर 0481 2301231 एक्सटेंशन संख्या 329, 365 पर संपर्क करें और led@rubberboard.org.in पर ईमेल करें। सुनिश्चित करें कि ईमेल के विषय क्षेत्र में लाइसेंस नंबर और टेक्स्ट संदेश में प्रतिनिधि का नाम एवं संपर्क नंबर उल्लिखित हैं।

भवदीय,

ਰ.sd/-

सहायक सचिव (उत्पाद शुल्क) रबड़ बोर्ड, सब जेल रोड, कोट्टयम – 686002, केरल फोन: 0481 2301231 एक्सटेंशन संख्या 329 एवं 365

THE RUBBER BOARD

रबड़ बोर्ड

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) पी बी नं.1122, कोट्टयम 686 002 वेब साइट website: www.rubberboard.org.in ई मेल e-mail: led@rubberboard.org.in

> उत्पाद शुल्क अनुभाग बाज़ार आसूचना प्रभाग



(Government of India, Ministry of Commerce & Industry)

P.B.No.1122, KOTTAYAM 686 002

दूरभाष Phone: 0481-2301231 (Extn: 329, 365)

Excise Duty Section

Market Intelligence Division

Ref. No.LED/1/GNL/2024

Dated 01.11.2024

CIRCULAR

The following guidelines are issued to manufacturers whose licence validity is expiring on 31.03.2025 for renewal of licence for the next 5 years.

1. Payment of licence fee.

The licence fee for 5 years is as follows.

Category for fee payment.	Amount including GST @ 18% (Rs.) for 5 years.
Quantity applied up to 4 tonne per year – (Rs.590 per year)	2950.00
Quantity applied above 4 tonne per year (Rs.1180 per year)	5900.00

Mode of payment

The licence fee shall be remitted online through the menu available in www.rbegp.in (https://pgbiz.omniware.in/RubberboardofIndia). Select the payment as: fee for manufacturer licence – renewal 5 years – (up to 4 MT or above 4 MT, based on the applied quantity for licence). Save the receipt and share to Rubber Board to the mail id led@rubberboard.org.in.

2. Submission of online Form D application for renewal of licence.

- ➤ The online renewal application can be filed **from 01.12.2024** onwards with user id and password in www.rbegp.in → Application and Requests → Renewal application.
 - In case of any difficulty in accessing your login page, please send a request through email to <u>led@rubberboard.org.in</u> (Mention the licence number in subject field, nature of difficulty and name & contact number).
- > The last date for submission of the application is 31.12.2024.
- ➤ Licence will be issued from January 2025.
- > The licence can be downloaded from your user account through the menu 'Application and Request > ' Licence history details.'

You need not send hardcopy of application to Rubber Board. If there is any query related to the application, please send email message to led@rubberboard.org.in. Always mention your licence number in subject field and provide your direct contact number in message.

3. Modifications in the licence application form.

If you need to modify the pre-filled application form due to change in name, address, constitution etc, apply online through the user account in www.rbegp.in through the menu application and request for amendments selecting appropriate request form. Also, send the related document with request to led@rubberboard.org.in. After the approval of the request by Rubber Board, file the online renewal application form.

4. Submission of returns.

Application for licence will be considered only on filing up-to-date returns in both Form K & Form L. Non-filing of returns will attract actions including payment of penalty/compounding charges, hence it should be ensured that the returns are filed online within the due date.

5. Contact details.

For assistance, if any, please contact nearest Rubber Board office or contact Head office over phone <u>0481 2301231</u> Extension No.329, 365 and email to <u>led@rubberboard.org.in</u>. It should be ensured that the licence number is mentioned in subject field of the mail and name of and contact number of the representative mentioned in the text message

Sd/-

Assistant Secretary (Excise Duty)